अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संगलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर व अन्य बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार दूदू

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर .... सन 2022 (दूदू)

श्री गिरीश पारीक एड.

12.1.22 यह अपील श्री गिरीश पारीक एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 09.09.2021, प्रकरण संख्या 91/2021 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ–पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज सम्वत 2004 से खसरा नम्बर 1334 रकबा 5.86 है., खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.07है., खसरा नम्बर 1342 रकबा 1.10 है. वाके ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू में अवस्थित है पर अपीलांट लगातार काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजीयात में से तहसीलदार द्वारा मात्र खसरा नम्बर 1334 रकबा 5.86 है. भूमि के बाबत् 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही राजनैतिक द्वेषता के कारण प्रार्थीगण/अपीलांट के विरूद्ध अमल मे लाई गई, जिससे वादी को बेदखल किया जा सकें जबकि खसरा नम्बर 1334 के अलावा अन्य और खसरा नम्बर पर भी वादीका कब्जा काश्त है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही जानबुझकर की जा रही है। वादीगण/अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर अपनी आजीविका चला रहे है यदि उन्हे बेदखल कर दिया गया तो उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के तीनो घटक प्रार्थीगण/अपीलांटस के पक्ष में होंते हुए भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर वादीगण के पक्ष मे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न कर गैर कानूनी आदेश प्रदान कर दिया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2021 की पालना को स्थगित किया जाकर विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने बाबत् आदेश पारित किये जावें।

अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 09.09.2021 की अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामलाल पुत्र भंवरलाल बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू
जाति गुर्जर व अन्य।
किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एस. नम्बर .... सन 2022 (दूदू

लगातार

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णयन के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का शीघ्र निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों का सुनकर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर